

Seventeenth Loksabha

>

Title: Request the government to make law to provide the representative of Backward Classes as condition of start of the state government.

श्री गणेश सिंह: महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान अभी हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण राज्यों ने दिया था, उसे समाप्त कर दिया गया है, की ओर दिलाना चाहता हूँ। राज्यों ने अपने-अपने राज्य की सामाजिक स्थितियों को देखकर अलग-अलग तरीके से पंचायतों अथवा अन्य स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्थाएं की थीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है, उसके विरुद्ध हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। उसी के कारण राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव रोक दिए गए हैं। मैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि राज्यों को अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व पुनः दिलाने हेतु संसद में कानून बनाए जाने की मांग करता हूँ ताकि राज्य सरकारें अपने राज्य की स्थिति के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दे सकें।